भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4358

दिनांक 20.12.2011/29 अग्रहायण, 1933 (शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा हेतु दिशानिर्देश

4358. श्री हरीश चौधरी :

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राजभाषा हेतु नीति दिशानिर्देशों संबंधी कोई परिपत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) हिन्दी के प्रसार में यह किस स्तर तक उपयोगी होगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

(क): जी, हां।

(ख) और (ग): राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं कि हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए सरल और आसानी से समझ में आने वाली हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह सलाह दी गई है कि (i) नोट और पत्र लिखने में आसान हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि यह आसानी से सभी की समझ में आ सके। यह महत्वपूर्ण है कि लिखने वाला वास्तव में जो व्यक्त करना चाहता है उसे पढ़ने वाला समझ सके; (ii) सरकारी कार्य में आमतौर पर समझ में आने वाले शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए तथा अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का देवनागरी में प्रयोग करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। (iii) जहां कहीं यह महसूस हो कि पाठक को कोई विशेष तकनीकी शब्द अथवा पदनाम हिन्दी में समझने में कठिनाई हो सकती है तो इसके अंग्रेजी पर्याय का देवनागरी में प्रयोग करना उचित होगा।